तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 23.1.24 को पेश हो।	
23.1.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। एकपक्षीय बहस प्रा०पत्र न.ग. मे वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रत्यार्थीगण सं. 1 व 2 उसकी बहनों ने प्रार्थी के साथ छल कर भूमि हडप करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में मृतक शौनाथ के अपने को असली वारिस बताकर झूठा शपथ-पत्र देकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर शौनाथ की भूमि का इंतकाल दि० 16.5.2008 को अपने नाम खुलवा लिया था। जबकि श्योनाथ ने कल्याण के पोते मोहनलाल को बाल्यावस्था मे ही गोद ले लिया था, इस प्रकार उक्त भूमि मे कल्याण व श्योनाथ का 1/2-1/2 हिस्सा निहित था। प्रत्यार्थीगण ने प्रार्थी को विश्वास मे लेकर एवं लोकडाउन का फायदा उठाकर गुप चुप तरीके से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित भूमि का बैंचान प्रत्यार्थीगण [illegible] कर दिया जिसका वर्तमान [illegible] जमाबंदी में दर्ज हो [illegible] प्रार्थी को अधिकार [illegible] शौनाथ का गोद पुत्र होने से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 व 2 मे वर्णित कृषि भूमियों	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30.07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे अपने हिस्से 1/2 मुताबिक भूमि का खातेदार घोषित करवाये। तथा प्रत्यर्थीगण सं. 1 लगायत 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस मे वकील प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। मूलवाद मे प्रार्थी के वारिस होने के सम्बन्ध मे निर्णय किया जाना है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। वारिसान के सम्बन्ध मे निर्धारण से पूर्व बेचान होने पर अपूरणीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता है। ग्राम भंवरखोल पटवार हल्का तलवास तहसील नैनवां की खाता संख्या 180 की खसरा सं. 304, 305, 306, 307, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319 कुल किता 11 कुल रकबा 3.5597 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 100 की भूमि खसरा संख्या 308, 309, 315, 315/655, 717/316 कुल किता 5 कुल रकबा 2.2328 हेक्टेयर भूमियों के सम्बन्ध मे [illegible] रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थायी [illegible] अप्रार्थीगण को पाबंद [illegible] निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested